सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

सरकारी निजी भागीदारी

राज्य परियोजनाओं के लिए एक समर्थकारी वातावरण तैयार करना

!ndia
INFRASTRUCTURE
Building for Growth

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

सरकारी निजी भागीदारी

राज्य परियोजनाओं के लिए एक समर्थकारी वातावरण तैयार करना

2008

© आर्थिक कार्य विभाग
सर्वाधिकार सुरक्षित

पीपीपी प्रकोष्ठ
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
www.pppinindia.com

रूपांकित एवं मुद्रित
मैक्रो ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
www.macrographics.com

2008

विषय-सूची

सिंहावलोकन	1
अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी के समर्थन में वित्तीय सहायता के लिए योजनाः अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण (वीजीएफ) की योजना	5
विशेष प्रयोजन साधन के माध्यम से व्यवहार्य अवसरंचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु योजनाः भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	9
सरकारी निजी भागीदारी को राज्य स्तर पर शामिल करना	11
भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)	13
पीपीपी परियोजनाओं के लिए कारोबारी सलाहकार	15
परियोजनाओं की बोली से पूर्व ग्रेड निर्धारण	17
www.pppinindia.com	19
www.pppindiadatabase.com	21
सीखना और ज्ञान का आदान-प्रदान	23
शब्दावली	25

सिंहावलोकन

सतत आधार पर उच्चतर विकास मार्ग के लिए उच्च कोटि की अवसंरचना का प्रावधान अर्थव्यवस्था की एक पूर्वापेक्षा है। विकास की नई दृष्टि के लिए जो व्यापक आधार वाली और समावेशी है, योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना में कुल निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 8 प्रतिशत करना होगा। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान अवसरंचना क्षेत्र में जिसमें मोटे तौर पर सड़क, रेल, हवाई और जल परिवहन, विद्युत, दूरसंचार, जलापूर्ति और सिंचाई शामिल है। 494 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक के पूर्वानुमानित निवेशों की परिकल्पना की गयी है जो 2006-07 के मूल्यों पर 20,27,169 करोड़ रुपए के बराबर हैं।

निवेश की जरूरतें बहुत अधिक हैं जिन्हें केवल सरकारी क्षेत्र से ही पूरा नहीं किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी पूंजी को आकर्षित करने को एक प्रमुख कार्यनीति के रूप में लिया गया है ताकि संसाधनों के घाटे को पूरा किया जा सके। इसलिए, सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन और प्रचालन के एक अधिमान्य साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी निजी भागीदारी से बड़े पैमाने पर अवसंरचना निवेश करने की क्षमता में वृद्धि, विशेष सुविज्ञता और लागतों में कमी लाने की प्रौद्योगिकी को लाने के साथ-साथ प्रचालन और अनुरक्षण में कार्यकुशलता लाने जैसे अनेक प्रकार के लाभों की उपलब्धि होती है।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन और प्रचालन के एक अधिमान्य साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अवसंरचना को निर्मित करने के तरीके के रूप में पीपीपी को प्रोत्साहित करने के आह्वान के प्रति समग्र प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। हालांकि, इसकी प्रगति धीमी है और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रही है। राज्यों और सभी क्षेत्रों में पीपीपी तरीके से निवेशों को बड़ी मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है।

पीपीपी को प्रोत्साहन देने के मार्ग में छह बड़ी अड़चने हैं:

- ★ अधिकांश अवसंरचना क्षेत्रों में नीति और विनियामक ढांचे को सक्षम बनाने में आ रही कमजोरी अनवरत एक बाधा बनी हुई है। क्षेत्रक नीतियों और विनियमों को पीपीपी के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। अधिकांश परियोजना राज्यों में हैं और राज्यों की सक्रिय भागीदारी के बिना वांछित परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं होगा।
- ★ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जरूरी दीर्घकालिक ईक्विटी और ऋण के वित्तपोषण को पूरा करने के लिए इस समय बाजार में पर्याप्त साधन और क्षमता नहीं है।
- ★ पीपीपी प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए सरकारी संस्थाओं और पदाधिकारियों में भी क्षमता की कमी है। चूंकि इन परियोजनाओं के लिए संविदाएं दीर्घकालिक हैं जिनमें सृजित की

गई अवसंरचना परिसंपत्तियों का जीवन काल शामिल होता है, इसलिए जरूरी है कि इस प्रक्रिया की व्यवस्था इस ढंग से की जाए कि समस्त स्टेकहोल्डरों को अधिकतम प्रतिलाभ की प्राप्ति हो सके है।

★ ऐसी विश्वसनीय और बैंकग्राह्य अवसरंचना परियोजनाओं की संख्या कम है, जिनकी निजी क्षेत्र को वित्तपोषण के लिए पेशकश की जा सके। हालांकि, पीपीपी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्यों द्वारा भी पहलें की गयी हैं, लेकिन इनका झुकाव कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है और इनमें तालमेल की कमी दिखाई देती है।

★ भारी मात्रा में विविध प्रकार की परियोजनाओं जैसे कि पत्तनों में टर्मिनलों पर ठोस अवशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, नए विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण, विद्युत उत्पादन संयंत्रों अथवा सम्प्रेषण प्रणालियों और सम्मेलन केन्द्रों का निर्माण, में निवेश करने की चुनौती का पूरी तरह मुकाबला करने और इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त रूप में, सुअर्हत और प्रशिक्षित जनशक्ति की व्यवस्था करने के लिए भी निजी क्षेत्र में क्षमता की कमी है।

★ स्टेकहोल्डरों को इस बात के लिए राज़ी करने के लिए कि वे अधिक से अधिक संख्या में पीपीपी को अपनाएं सही सलाह की कमी।

इन अड़चनों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नीति और विनियामक वातावरण से संबंधित मुद्दों को हल करके पीपीपी के लिए समर्थकारी ढांचा तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उत्तरोत्तर निजी और विदेशी निवेश के लिए अधिक क्षेत्र खोले गए हैं, प्रयोक्ता प्रभारों की लेवी

पीपीपी परियोजनाएं-प्रक्रिया प्रबंधन

पीपीपी परियोजनाएं - प्रक्रिया

- परियोजना की पहचान
- आरम्भिक जांच रिपोर्ट (आईएसआर) तैयार करना
- आईएसआर और परियोजना का सरकार/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

→

- ◆ पीपीपी और एमआईएस परामर्शकों के माध्यम से पीपीपी प्रकोष्ठों को विशेषज्ञ सहायता और एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कानूनी सलाह
- ◆ क्षेत्र विशिष्ट और आवश्यकता मूल्यांकन संबंधी कार्यशालाएं
- ◆ अधिकारियों को पीपीपी, परियोजना वित्तपोषण, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन संबंधी जानकारी
- ◆ सर्वोत्तम प्रणालियों के बारे में बताना
- ◆ बोली से पहले परियोजनाओं की ग्रेडिंग और जोखिम मूल्यांकन

- परियोजना की मांग का मूल्यांकन, पर्यावरण मूल्यांकन, लागत अनुमान, जोखिम प्रबंधन तंत्र और वित्तीय संरचना सहित परियोजना विकास अध्ययन
- संविदागत संरचना का विकास और अनुदान करार एवं बोली दस्तावेज तैयार करना
- बोली की प्रक्रिया
- निजी क्षेत्र के निवेशक/विकासकर्ता का चयन

→

- ◆ संचालन सलाहकार
- ◆ परियोजना विकास संबंधी खर्चों के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि
- ◆ संविदात्मक मानकीकृत/बोली दस्तावेज
- ◆ आन लाइन टूलकिट और संहिता

- अनुदान/संविदा करार पर हस्ताक्षर करना
- कार्यनिष्पादन और लागतों की मानीटरिंग

(ये दोनों चरण ऊपर वाले पहले सूची-खंड — पीपीपी और एमआईएस परामर्शकों … — से तीर द्वारा जुड़े हैं)

- परियोजनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए सहायता → ◆ अर्थक्षमता अन्तर निधीयन योजना
- दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण के लिए पहुंच → ◆ आईआईएफसीएल के माध्यम से वित्तपोषण

वित्त मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

(दायाँ स्तंभ: ◆ वाले सभी बिंदु इसी शीर्षक के अंतर्गत हैं)

को बढ़ाया जा रहा है, विनियामक संस्थाओं की स्थापना की जा रही है और उन्हें सुदृढ़ बनाया जा रहा है और अवसंरचना परियोजनाओं को राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। क्षेत्र विशेष से संबंधित माडल अनुदान करारों जैसे मानकीकृत संविदागत दस्तावेजों जो जोखिम आबंटन, आकस्मिक देनदारियों और गारन्टियों के साथ-साथ सेवा की गुणवत्ता और कार्यनिष्पादन मानकों से संबंधित मानक शर्तों का निर्धारण करेंगे तथा अहर्ताओं के लिए माडल अनुरोध और प्रस्तावों के लिए माडल अनुरोध जैसे मानकीकृत बोली दस्तावेजों को तैयार करके अधिसूचित किया जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी के लिए अनुमोदन तंत्र को सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के गठन के माध्यम से सुसाध्य बनाया गया है; और **www.pppinindia.com** नामक एक ऐसी वेबसाइट शुरू की गई है जो अनन्य रूप से पीपीपी के लिए समर्पित है और पीपीपी परियोजनाओं के लिए कल्पित (वर्चुअल) बाजार स्थल के तौर पर कार्य करती है। अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति पर व्यापक सूचना मुहैया कराने के लिए देश में पीपीपी परियोजनाओं पर आनलाइन डाटाबेस विकसित किया गया है।

इन परियोजनाओं के वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराने के लिए भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि0 (आईआईएफसीएल) की स्थापना करने और पीपीपी परियोजनाओं को अर्थक्षमता अन्तर का निधिकरण मुहैया कराने हेतु अवसंरचना से संबंधित पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना आरम्भ करने जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों को रुपया बांड जारी करने और पीपीपी परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराने हेतु करेंसी की अदला-बदली करने की अनुमति दी गयी है। इक्विटी निवेशों का प्रवाह बढ़ाने के लिए समर्पित अवसंरचना फंडों की स्थापना करने को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पूंजी में लगभग 5 बिलियन अमरीकी डॉलर नियोजित करने के लिए सामूहिक प्रयासों में से एक है 'भारत अवसंरचना वित्त अभिक्रम' जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा सुसाध्य बनाया गया है। फंड का निर्माण उद्यम पूंजी फंड के रूप में किया गया है जिसमें दस वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधियों के साथ लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर इक्विटी पूंजी के रूप में और 3 बिलियन अमरीकी डॉलर दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण के रूप हैं।

भारत सरकार ने नीति और विनियामक वातावरण से संबंधित मुद्दों को हल करके पीपीपी के लिए समर्थकारी ढांचा तैयार करने के लिए कई कदम उठाए हैं

अवसंरचना निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा भडारों के एक भाग को उपयोग में लाने हेतु आरम्भिक कदम उठाए गए हैं। आईआईएफसीएल ने अवसंरचना विकास के लिए विदेशी मुद्रा भंडारों के एक भाग को उपयोग करने के लिए एक अपतटीय एसपीवी गठित किया है। अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश के लिए अनेक अवसर हैं। भारत सरकार अब अधिकांश अवसंरचना क्षेत्रों में 100 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देती है। कुशल विदेशी निवेशकों के लिए भारत में परियोजना विकास और प्रबंधन क्रियाकलापों में अधिकाधिक रूचि लेने का यह उपयुक्त समय है।

ऐसी विश्वसनीय, बैंकग्राह्य परियोजनाओं की श्रृंखला का निर्माण करने के लिए जिन्हें स्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से प्राइवेट क्षेत्र को प्रस्तुत किया जा सके सरकारी संस्थाओं और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और साथ ही पीपीपी प्रक्रिया का उचित प्रबंध करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को अन्तर्निर्मित पीपीपी, वित्तीय/जोखिम विशेषज्ञों, एमआईएस विशेषज्ञों और कानूनी फर्मों के पैनल तक पहुंच के रूप में तकनीकी सहायता मुहैया करायी जा रही है। अन्य उपायों में कारोबारी सलाहकारों के पैनल के एक माध्यम से परामर्शदाताओं को भाड़े पर लेने में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों की सहायता करना, प्रयोक्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए मैनुअल तैयार करना, और पीपीपी के संबंध में सरकारी पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, जोखिम मूल्यांकन करना और परियोजनाओं की बोली-पूर्व ग्रेडिंग को व्यक्त किया जाना शामिल है। राज्य और नगरपालिका स्तर पर सरकारी कार्यप्रचालन तंत्र की क्षमता निर्माण में तेजी लाना और उसे गहन बनाने के लिए राज्य प्रशासनिक संस्थाओं के स्तर

अवसंरचना में पीपीपी को मुख्य धारा में लाने का कार्य विशाल है और लोगों की बदलती हुए भावनाओं और उच्च कार्यनिष्पादनकारी अर्थव्यवस्था के दबावों को देखते हुए इस दिशा में निरन्तर और तेजी से कार्य करने की जरूरत है

पर प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम एवं 'प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं। इन उपक्रमों के लिए एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से तकनीकी सहायता प्राप्त हो रही है। ज्यों-ज्यों सभी क्षेत्रों में पीपीपी की पहुंच बढ़ेगी, इन परियोजनाओं का उनकी 20-30 वर्ष की पूरी कार्यावधि के दौरान प्रबंध करने के लिए प्राइवेट क्षेत्र की क्षमता में भी वृद्धि करनी होगी। विकास कर्ता-निवेशकों के रूप में प्राइवेट क्षेत्र की क्षमता को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त कौशल वाली यथेष्ठ जनशक्ति मुहैया कराने हेतु कदम उठाने की जरूरत है। भारत सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की घोषणा कर दी है और देश में कौशल विकास क्रियाकलाप को बढ़ावा देने हेतु पीपीपी स्वरूप में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम स्थापित किया गया है।

जबकि वहनीय, पैसे का उचित मूल्य दिलाने वाली पीपीपी की अधिप्राप्ति हेतु उच्च कोटि की परामर्शी सेवाएं जरूरी हैं, फिर भी पीपीपी की अधिप्राप्ति की लागतें और विशेष रूप से कारोबारी सलाहकारों की लागतें इसमें महत्वपूर्ण हैं। राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों को उच्च कोटि के परियोजना विकास क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना हेतु योजना और दिशा-निर्देश अधिसूचित कर दिए गए हैं।

पीपीपी स्टेकहोल्डरों के लिए कल्पित बाजार स्थल का निर्माण करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग ने पीपीपी वेबसाइट तैयार की है जो भारत में पीपीपी अभिक्रमों से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकमात्र 'साइट' है। यह राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में पीपीपी कार्यक्रमों से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराती है। यह 'साइट' भारत में पीपीपी परियोजनाओं पर डाटाबेस तथा नीतिगत विषयों से भी जुड़ी हुई है।

ये उपाय मात्र आरम्भ हैं। अवसंरचना में पीपीपी को मुख्य धारा में लाने का कार्य विशाल है और लोगों की बदलती हुए भावनाओं और उच्च कार्यनिष्पादनकारी अर्थव्यवस्था के दबावों को देखते हुए इस दिशा में निरन्तर और तेजी से कार्य करने की जरूरत है।

हमें देश के अवसंरचनात्मक विकास में पीपीपी के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना होगा।

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी के समर्थन में वित्तीय सहायता के लिए योजना

अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण (वीजीएफ) की योजना

भारत सरकार की अर्थक्षमता अन्तर निधीयन योजना में इन योजनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली अवसंरचना परियोजनाओं को एककालिक या आस्थगित रूप में अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है।

पात्रता

पीपीपी परियोजनाएं केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों या ऐसे सांविधिक प्राधिकरणों (नगरपालिका प्राधिकरणों और परिषदों) द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं जिनके स्वामित्वाधीन आधारिक परिसम्पत्तियां उपलब्ध होती हैं। परियोजनाओं को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने चाहिए:

- पीपीपी परियोजनाओं को ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा परियोजना अवधि के लिए कार्यान्वित अर्थात विकसित, वित्तपोषित, निर्मित, अनुरक्षित और प्रचालित किया जाना चाहिए जिसका चयन पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार या सांविधिक निकाय द्वारा किया गया हो। बोली के लिए मानदंड, जहां अन्य सभी पैरामीटर तुलनीय हैं, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा अपेक्षित अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण की राशि होगी।
- पीपीपी परियोजना निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र से होनी चाहिए:
  - सड़के और पुल, रेलवे[1], बंदरगाहें, विमानपत्तन, अन्तर्देशीय जलमार्ग,
  - विद्युत
  - शहरी परिवहन, जलापूर्ति, मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी क्षेत्रों में अन्य भौतिक आधारभूत ढांचे,
  - विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाएं,
  - अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र और अन्य पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं

बोली के लिए मानदंड, जहां अन्य सभी पैरामीटर तुलनीय हैं, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा अपेक्षित अर्थक्षमता अन्तर के वित्तपोषण की राशि होगी

लेकिन, अधिकार प्राप्त समिति वित्त मंत्री के अनुमोदन से उपर्युक्त सूची में क्षेत्रों/उप क्षेत्रों को जोड़ सकती है या उनमें से निकाल सकती है।

---

[1] वर्तमान में रेलवे परियोजनाएं निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा प्रचालनाधीन नहीं है परंतु इस पात्रता के मानदंड को रियायत दी जानी चाहिए।

- ★ परियोजना को पूर्व निर्धारित टैरिफ या प्रयोक्ता प्रभार के भुगतान करने पर सेवा उपलब्ध करानी चाहिए।
- ★ संबंधित सरकार/सांविधिक निकाय को निम्नलिखित को कारणों के साथ प्रमाणित करना चाहिएः
  - ◆ पीपीपी के अर्थक्षमता अन्तर को समाप्त करने या कम करने के लिए टैरिफ/प्रयोक्ता प्रभारों को बढ़ाया नहीं जा सकता
  - ◆ अर्थक्षमता अन्तर को कम करने के लिए परियोजना अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता
  - ◆ पूंजीगत खर्चे तर्कसंगत हैं और ऐसी परियोजनाओं के लिए सामान्यतः लागू होने वाले मानकों और विनिर्देशनों पर आधारित है और अर्थक्षमता अन्तर को कम करने के लिए पूंजीगत खर्चों को और अधिक प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता
- ★ यह योजना तभी लागू होगी जब संविदा/स्वीकृति ऐसी निजी क्षेत्र की कंपनी को दिया गया होगा जिसमें अभिदत्त और प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का 51 प्रतिशत या उससे अधिक निजी निकाय के स्वामित्व में हो और उसके नियंत्रणाधीन हो।

आर्थिक कार्य विभाग प्रोफार्मा की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के अन्दर परियोजना प्राधिकरण को सूचित करेगा कि क्या इसे अधिकार प्राप्त संस्था के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है

पीपीपी परियोजना का प्रायोजक प्राधिकरण, योजना के अन्तर्गत परियोजना की स्वीकार्यता के संबंध में संदेह की स्थिति में चाहे तो निर्धारित प्रोफार्मा में आर्थिक कार्य विभाग को परियोजना की अवधारणा प्रस्तुत कर सकता है। आर्थिक कार्य विभाग प्रोफार्मा की प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के अन्दर परियोजना प्राधिकरण को सूचित करेगा कि क्या इसे अधिकार प्राप्त संस्था के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

सरकारी सहायता

- ★ योजना के अन्तर्गत कुल अर्थक्षमता अन्तर का निधिकरण कुल परियोजना लागत के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। परियोजना के स्वामित्व वाली सरकार या सांविधिक निकाय यदि वह निर्णय लेना चाहती है तो कुल परियोजना लागत के और बीस प्रतिशत तक का अपने बजट में से अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर सकती है।
- ★ योजना के अन्तर्गत अर्थक्षमता अन्तर का निधीयन परियोजना के निर्माण की अवस्था में सामान्यतः पूंजी अनुदान के रूप में होगा। किसी अन्य रूप में सहायता के प्रस्ताव पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अलग-अलग मामले के आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन से विचार किया जा सकता है।

अनुमोदन की प्रक्रिया

- ★ प्रस्ताव को निर्धारित प्ररूप में आर्थिक कार्य विभाग के पीपीपी प्रकोष्ठ के पास (हार्ड और सोफ्ट फार्म, दोनों में ही, छः प्रतियों में) भेजा जाना चाहिए। प्रस्ताव में सभी परियोजना करारों और परियोजना रिपोर्ट की प्रतियां भी शामिल होनी चाहिए।
- ★ प्रस्ताव को पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा अधिकार प्राप्त संस्था के सभी सदस्यों के पास उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाएगा। चार सप्ताह के अन्दर प्राप्त हुई सभी अभ्युक्तियों को पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण के पास, जैसी भी स्थिति होगी, प्रत्येक अभ्युक्ति का लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा। यदि परियोजना एक माडल अनुमोदन करार पर आधारित है तो अभ्युक्तियां दो सप्ताहों के अन्दर भेज दी जाएंगी।

अर्थक्षमता अन्तर का निधीयन	अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी
100 करोड़ रुपए तक	अधिकार प्राप्त संस्था (देखिए बाक्स) लेकिन यह वित्त मंत्री द्वारा निर्दिष्ट बजटीय सीमा के अधीन होगा
100 करोड़ रुपए से अधिक 200 करोड़ रुपए तक	अधिकार प्राप्त समिति (देखिए बाक्स)
200 करोड़ रुपए से अधिक	वित्त मंत्री के अनुमोदन से अधिकार प्राप्त समिति

★ परियोजना रिपोर्ट, रियायत करार और समर्थक करारों/दस्तावेजों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियों और उन पर दिए गए जवाबों के साथ प्रस्ताव को पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा अधिकार प्राप्त संस्था के पास विचारार्थ और 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अधिकार प्राप्त संस्था के पास प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय पीपीपी प्रकोष्ठ यह निर्दिष्ट करेगा कि प्रस्ताव योजना की स्वीकृत अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। यदि किसी प्रकार की त्रुटियां हों तो उन्हें पीपीपी प्रकोष्ठ की टिप्पणी में निर्दिष्ट किया जाएगा।

★ अधिकार प्राप्त संस्था या तो प्रस्ताव का सिद्धांत रूप से अनुमोदन (संशोधन के साथ अथवा बिना) करेगी अथवा संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकार अथवा सांविधिक प्राधिकरण जैसा भी मामला हो, को अतिरिक्त स्पष्टीकरण/सूचना अथवा अधिकार प्राप्त संस्था को आगे विचार के लिए आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सलाह देगी।

★ इस योजना के तहत अनुमोदन केवल इस योजना के प्रयोजनों के लिए होगा। अन्य सभी सांविधिक, आर्थिक अथवा प्रशासनिक अनुमोदन उसी प्रकार प्राप्त करने होंगे। केन्द्रीय सरकार अथवा इसके सांविधिक निकायों के स्वामित्व वाली परियोजनाओं के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पीपीपीएसी का भी अनुमोदन लेना होगा। तथापि, समय की बचत के लिए ये अनुमोदन साथ-साथ लेने होंगे।

प्रमुख वित्तीय संस्था द्वारा मूल्यांकन और निगरानी

★ संबंधित सरकार/सांविधिक संस्था को अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा परियोजना की पात्रता की सूचना प्रदान करने की तारीख से चार मास के भीतर पीपीपी परियोजना प्रदान कर दी जाएगी। अधिकार प्राप्त संस्था इस अवधि को बढ़ा सकती है यदि संबंधित संस्था द्वारा इस आशय का आवेदन किया जाता है।

★ इस परियोजना का मूल्यांकन, बोली प्रदान करने की तारीख के तीन महीने के अंदर प्रमुख वित्तीय संस्था (एलएफआई) द्वारा किया जाएगा और अधिकार प्राप्त संस्था के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

★ प्रमुख वित्तीय संस्था परियोजना अनुपालन के लिए स्वीकृत मील पत्थरों और निष्पादन स्तरों, विशेषरूप से अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण के आबंटन के प्रयोजन के लिए नियमित निगरानी और आवधिक मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगी।

संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी

आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 25 जुलाई, 2005 को हुई अपनी बैठक में अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी को सहायता देने की योजना का अनुमोदन किया। मंत्रिमंडल के इस निर्णय के अनुसरण में, ऐसी परियोजनाएं जो योजना में दर्शाए गए पात्रता के सभी मानदण्डों को पूरा करती हों, को वित्तीय सहायता अनुमोदित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति एवं अधिकार प्राप्त संस्था का गठन करने का निर्णय किया गया है।

अधिकार प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

i. सचिव (आर्थिक कार्य)
ii. सचिव (योजना आयोग)
iii. सचिव (व्यय)
iv. विषय से संबंधित कार्य करने वाले मंत्रालय के सचिव

अधिकार प्राप्त समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

क. प्रत्येक परियोजना के लिए 200 करोड़ रूपये (दो सौ करोड़ रूपये) तक अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण संस्वीकृत करना, बशर्ते कि यह वित्त मंत्रालय की बजटीय सीमाओं को पूरा करता है। 200 करोड़ रूपये से अधिक की राशियां वित्त मंत्री के अनुमोदन से उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्वीकृत की जा सकती हैं।

ख. ऐसा उपयुक्त सूत्र निर्धारित करना जो क्षेत्रों की आवश्यकताओं को इस प्रकार संतुलित करता हो कि जिससे क्षेत्रक कवरेज को व्यापक आधार मिले और कुछेक बड़ी परियोजनाओं द्वारा निधियों पर पहले ही अधिकार न कर लिया जाए।

ग. व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण उपलब्ध कराने वाली चल रही किसी योजनागत योजना और इस योजना के बीच पारस्परिक आबंटन निर्धारित करना।

घ. अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुरोध करने पर ऐसी सहायता के लिए ऐसी परियोजना की पात्रता से संबंधित स्पष्टीकरण अथवा अनुदेश उपलब्ध कराना।

अधिकार प्राप्त संस्था की संरचना इस प्रकार होगी:

i. अपर सचिव (आर्थिक कार्य)
ii. अपर सचिव (व्यय)
iii. योजना आयोग के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव स्तर से कम न हों
iv. विषय से संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव
v. संयुक्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग सदस्य-सचिव

अधिकार प्राप्त संस्था निम्न कार्य करेगी:

क. वित्त मंत्रालय द्वारा दर्शायी गई बजटीय सीमा के अनुसार प्रत्येक पात्र परियोजना के लिए 100 करोड़ रूपये तक अर्थक्षमता अन्तर वित्तपोषण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करना।

ख. अन्य प्रस्तावों पर विचार करना और उनको अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

अधिकार प्राप्त संस्था के पास प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय पीपीपी प्रकोष्ठ यह निर्दिष्ट करेगा कि प्रस्ताव योजना की स्वीकृत अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं

अनुदान का आबंटन

★ अधिकार प्राप्त संस्था, प्रमुख वित्तीय संस्था और निजी क्षेत्र कंपनी इस योजना के प्रयोजन के लिए एक त्रिपक्षीय करार करेंगी।

★ अधिकार प्राप्त संस्था, देय होने पर प्रमुख वित्तीय संस्था को अनुदान जारी करेगी।

★ यह अनुदान निजी क्षेत्र कंपनी द्वारा परियोजना के लिए अपना इक्विटी अंशदान देने और व्यय करने के बाद आबंटित किया जाएगा और उसके पश्चात आबंटित किए जाने वाले शेष ऋण आबंटनों के अनुपात में जारी किए जाएंगे।

'अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता की योजना' को वित्त मंत्रालय के दिनांक 12 *जनवरी,* 2006 *के कार्यालय ज्ञापन सं*01/5/2005-*पीपीपी द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।*

ब्यौरों के लिए कृपया **www.pppinindia.com** *को देखें।*

विशेष प्रयोजन साधन के माध्यम से व्यवहार्य अवसरंचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दीर्घ अवधि ऋण उपलब्ध कराके अवसंरचना क्षेत्र में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के विशिष्ट अधिदेश के लिए की गई है। आईआईएफसीएल सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर देशीय के साथ-साथ विदेशी बाजारों से निधियां जुटाती हैं।

पात्रता

★ आईआईएफसीएल केवल वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, इनमें वे पीपीपी परियोजनाएं भी शामिल हैं जो अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण प्राप्त करने के पश्चात व्यवहार्य हो जाएंगी, को वित्तपोषित करेगी।

★ परियोजना निम्नलिखित द्वारा परियोजना अवधि के लिए कार्यान्वित अर्थात् विकसित, वित्तपोषित और संचालित की जाएगी।

- एक सरकारी क्षेत्र कंपनी
- पीपीपी पहल के तहत चयनित निजी क्षेत्र की कंपनी, अथवा
- एक निजी क्षेत्र कंपनी

रेलवे परियोजनाओं के मामले में जिनका निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा संचालन नहीं किया जा सकता अधिकार प्राप्त समिति ऐसी कंपनी द्वारा संचालन से संबंधित पात्रता मानदंड में ढील दे सकती है।

★ ये परियोजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में होनी चाहिए।

- सड़कें और पुल, रेलवे, बंदरगाहें, विमानपत्तन अंतर्राज्यीय जल मार्ग।
- विद्युत
- शहरी परिवहन, जलापूर्ति, मलजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी क्षेत्रों में अन्य भौतिक अवसंरचना
- गैस पाइप लाइनें
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अवसरंचना परियोजनाएं
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र और अन्य पर्यटन अवसरंचना परियोजनाएं

★ ये परियोजनाएं बिना सहायता आधार पर गठित परियोजना कंपनी के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।

★ संबंधित सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित मानकीकृत/मॉडल दस्तावेज पर आधारित पीपीपी परियोजनाएं। अलग प्रकार के दस्तावेजों की आईआईएफसीएल द्वारा समीक्षा की जाएगी।

खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा प्रस्ताव मंगवाने से पहले संबंधित प्रायोजक कंपनी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्राप्त करें

★ खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा प्रस्ताव मंगवाने से पहले संबंधित प्रायोजक कंपनी योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्राप्त करें। आईआईएफसीएल द्वारा वास्वविक ऋण परियोजना के अंतिम समापन से पहले प्रमुख बैंक के मूल्यांकन द्वारा शासित होगी।

प्रमुख बैंक आईआईएफसीएल के विचारार्थ परियोजना के लिए अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा जो निधियन के अनुमोदन का आधार बनेगा

प्रमुख बैंक द्वारा मूल्यांकन और मानीटरिंग

★ प्रमुख बैंक आईआईएफसीएल के विचारार्थ परियोजना के लिए अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा जो निधियन के अनुमोदन का आधार बनेगा। आमतौर से आईआईएफसीएल द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होगी।

★ प्रमुख बैंक स्वीकृत मील पत्थरों और निष्पादन स्तरों, विशेष रूप से आईआईएफसीएल निधियों के आबंटन के संबंध में परियोजना अनुपालन की नियमित निगरानी और आवधिक मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होगा। उसे प्रपत्र में आवधिक प्रगति रिपोर्टें और ऐसे समय पर जैसा कि आईआईएफसीएल द्वारा निर्धारित किया जाए प्रस्तुत करनी होगी।

ऋण शर्तें

★ आईआईएफसीएल निम्नलिखित तरीकों से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण करेगा।

- ◆ दीर्घावधि ऋण
- ◆ 10 वर्षों से अधिक अवधि के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पुनः वित्तपोषण करना।
- ◆ सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका

★ परियोजना कंपनी को उपर्युक्त ऋण का कोई भी तरीका चुनने का अधिकार होगा।

★ वे शर्तें जिन पर परियोजना कंपनी दीर्घ-अवधि ऋण का मूल्यांकन कर सकती हैं, परियोजना कंपनी को उपलब्ध पुनः वित्तपोषित ऋण की शर्तों से भिन्न नहीं होंगी।

★ आईआईएफसीएल द्वारा दिया जाने वाला कुल ऋण कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। वित्तीय संस्थाओं के ऋण आबंटनों के अनुपात में उधार दिया जाता है।

★ प्रशासनिक लागतों और प्रतिभूति शुल्क आदि कोई हो, सहित वित्तपोषण लागत को शामिल करने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा प्रभारित ब्याज दर।

★ जब भी देय होगा आईआईएफसीएल प्रमुख बैंकों को निधियां जारी करेगा। प्रमुख बैंक आईआईएफसीएल की ओर से आबंटन करेगा और बाद में आईआईएफसीएल से इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा।

★ आईआईएफसीएल द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की वसूली का उत्तरदायित्व प्रमुख बैंक का होगा। आईआईएफसीएल ऋण की वसूली परियोजना ऋण स्तर पर होगी जब तक कि परियोजना ऋण के 80 प्रतिशत परियोजना ऋण की वसूली होगी। इसके पश्चात प्रमुख बैंक आईआईएफसीएल के जमीन के रूप में भुगतान जोखिम को अपनाएगा।

★ आईआईएफसीएल द्वारा परियोजना परिसम्पत्तियों पर प्रभार परियोजना ऋण के बराबर होगा और परियोजना अवधि के बाद भी उस समय तक चलता रहेगा जब तक आईआईएफसीएल द्वारा दिया गया मूलधन ब्याज और अन्य प्रभारों सहित देय रहता है।

★ इस योजना के प्रयोजनों के लिए आईआईएफसीएल, प्रमुख बैंक और परियोजना कंपनी एक त्रिपक्षीय करार करेंगे।

विशेष प्रयोजन साधन के माध्यम से व्यवहार्य अवसरंचना परियोजनाओं वित्तपोषण कंपनी लिमिटेड को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक जनवरी 4, 2006 के का0ज्ञा0सं0 10/12/2005-आईएनएफ द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है।

ब्यौरों के लिए कृपया www.pppinindia.com *को देखें।*

सरकारी निजी भागीदारी को राज्य स्तर पर शामिल करना

पीपीपी की अवधारणा बनाने और इसकी संरचना तथा प्रबंधन के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना स्वीकार करने से अधिक और बेहतर पीपीपी[2] सामने आएंगे, आर्थिक कार्य विभाग, एशियाई विकास बैंक से तकनीकी सहायता के माध्यम से सरकारी निजी भागीदारी को मुख्य धारा में सुविधाजनक बना रहा है। प्रमुख उद्देश्य यह है कि केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रत्येक चुनिन्दा कंपनी को उसी स्थान पर परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध करा कर उनकी स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए पीपीपी प्रकोष्ठों को प्रभावी संस्था बनाना है।

तकनीकी सहायता

चयनित निकायों को दिसम्बर, 2009 तक की अवधि के लिए निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगीः

- ★ परियोजना वित्तीय विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन पर केन्द्रित व्यक्तिगत आधार पर एक पीपीपी विशेषज्ञ।
- ★ सूचना प्रबंधन पर केन्द्रित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली विशेषज्ञ (व्यक्तिगत आधार पर)।
- ★ पीपीपी पर विधिक विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए बनाए रखने के आधार पर सम्भव निवेशः (सारे वर्ष में फैला हुआ परन्तु सारा वर्ष लगभग 6-7 महीने) तीन विधिक विशेषज्ञों का पैनल।

पात्रता

- ★ इस तकनीकी सहायता का लाभ उठाने वाले इच्छुक राज्यों को आर्थिक कार्य विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें राज्य में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा।
- ★ समझौता ज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित कार्रवाई करनी होगीः
  - ◆ राज्य में पीपीपी परियोजनाओं की प्रक्रिया के लिए पीपीपी पदनामित केन्द्रक अधिकारी और परिभाषित कार्य क्षेत्र के साथ केन्द्रक एजेंसी के रूप में पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना;

पीपीपी को संस्थागत बनाने में ये शामिल हैं
पीपीपी नीति और विनियामक संरचना को बेहतर बनाना
अनुपालन/सार्वजनिक सुरक्षा मानदण्डों को पूरा करना
एमआईएस में सुधार
बोली दस्तावेजों और प्रक्रिया में सुधार
जोखिम भागीदारी का निर्धारण
मूल्यवर्द्धित अनुसंधान/विश्लेषण करना
निगरानी निर्धारित करना

[2] 'इन्डिया बिल्डिंग केपेसिटीज फार पीपीपीज'। दि वर्ल्ड बैंक 2006

- पीपीपी के लायक परियोजनाओं का बहुत बड़ा शेल्फ तैयार करना और राज्य में पीपीपी स्तर पर लक्ष्यों के निम्नलिखित सेट का पालन करना।
- वर्ष 2007-08 के दौरान 750 करोड़ रूपये की कुल लागत से कम से कम दो क्षेत्रों में तीन परियोजनाओं की बोली लगाना।
- वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 1250 करोड़ रूपये या अधिक की लागत से कम से कम तीन क्षेत्रों में पांच परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया से शुरूआत करना।
- वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 1500 करोड़ रूपये या अधिक की कुल लागत से कम से कम चार क्षेत्रों में पांच परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया से शुरूआत करना।
- पता लगाए गए अवसरंचना क्षेत्रों में ऐसी नीतियां, विनियामक और शासी ढांचा स्थापित करने के प्रति वचनबद्धता।
- वार्षिक योजना के साथ 'पीपीपी परियोजनाओं' की योजना तैयार करें।
- इनके प्रति वचनबद्ध हों (i) परिभाषित अवसंरचना क्षेत्रों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए मानक रियायत अपनाना; (ii) सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्रियाओं और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, परिभाषित नियमावली और प्रक्रियाओं के तहत बोली लगाने और अवसंरचना परियोजनाएं प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया अपनाना; (iii) पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य स्तर पर विवाद संकल्प तंत्र विकसित करना; (iv) सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यावरण, पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित औपचारिक राज्य नीतियां अपनाएं।

तकनीकी सहायता का उद्देश्य है पीपीपी योजनाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए भागीदारी, राज्य को मदद करना

परिणाम

तकनीकी सहायता का उद्देश्य इस प्रकार है:

- ★ पीपीपी योजनाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए भागीदारी, राज्य को मदद करना।
- ★ भागीदारी निकायों को अवसंरचना में पीपीपी तैयार करने, मूल्यांकन करने और जानकारी देने में पीपीपी प्रकोष्ठों की क्षमता में वृद्धि करना।
- ★ भलीभांति तैयार आंकड़ा आधारों के माध्यम से केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर अवसंरचना में पीपीपी की समग्र प्रगति की निगरानी का सार्थक सुधार।
- ★ अवसंरचना में पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना चक्र के बारे में निजी क्षेत्र के सम्भावित भागीदारों के बीच जागरूकता बढ़ाना और धनराशि के संबंध में सरकार की अपेक्षाओं की जानकारी देना।
- ★ सारे देश में अवसंरचना विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र में दीर्घकालीन वृद्धि।

ब्यौरों के लिए कृपया www.pppinindia.com को देखें।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ)

वित्त मंत्री ने संसद में 2007-08 के अपने बजट भाषण में निजी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विश्वसनीय और बैंकग्राह्य निजी क्षेत्र भागीदारी परियोजनाओं के विकास के समर्थन के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 100 करोड़ रू0 की प्रारम्भिक आधारभूत निधि से एक परिक्रामी निधि स्थापित करने की घोषणा की है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) उच्च कोटि के परियोजना विकास क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। इस प्रकार, प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी संबंधी लेनदेनों की लागतों के एक भाग का वित्तपोषण कर सकेगा जिससे उनके बजटों पर अधिप्राप्ति से संबंधित लागतों के प्रभाव में कमी आएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी लेनदेनों की लागतों के एक भाग का वित्तपोषण कर सकेगा जिससे उनके बजटों पर अधिप्राप्ति से संबंधित लागतों के प्रभाव में कमी आएगी

पात्रता

- ★ इस योजना के तहत सहायता के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों, राज्य सरकारों, नगरपालिका अथवा स्थानीय निकायों अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे।
- ★ आईआईपीडीएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रायोजक प्राधिकरण को पीपीपी प्रकोष्ठ का सृजन करना होगा और इसे इस आशय के लिए प्राधिकृत करना होगा जिससे वह न केवल पीपीपी परियोजना विकास क्रियाकलापों को अपने हाथ में ले सके बल्कि प्रायोजक प्राधिकरणों के शेल्फ में पीपीपी परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े नीतिगत और विनियामक मामलों को भी निपटा सके।
- ★ पीपीपी परियोजना ऐसे क्षेत्रों में से होनी चाहिए जो अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत अर्थक्षमता अन्तर के निधिकरण के लिए पात्र हों अथवा वित्त मंत्री के अनुमोदन से अन्य किसी क्षेत्र से होनी चाहिए।
- ★ आईआईपीडीएफ पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रायोजक प्राधिकरणों को परियोजना विकास लागतों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है जिसमें प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा संभाव्यता अध्ययनों, पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययनों, वित्तीय संघटन, कानूनी समीक्षाओं और परियोजना प्रलेखन को तैयार करवाने पर होने वाले खर्च शामिल होंगे जिसमें इन परियोजनाओं की तकनीकी जानकारी के लिए जरूरी अनुदान करार, वाणिज्यिक मूल्यांकन अध्ययन (यातायात अध्ययनों, मांग मूल्यांकन, मूल्यांकन भुगतान की क्षमता सहित) आदि शामिल होंगे जो व्यक्तिगत रूप में या टर्नकी आधार पर होंगे लेकिन इसमें प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा अपने स्टाफ पर वहन किए गए खर्चे शामिल नहीं होंगे।

आईआईपीडीएफ उस पीपीपी परियोजना की कारोबारी संबंधी परामर्शी लागतों का वित्तपोषण करती है जहां ऐसे कारोबारी सलाहकारों की नियुक्ति प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अधिप्राप्ति की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से की जाती है

- ★ आईआईपीडीएफ उस स्थिति में पीपीपी परियोजना से संबंधित परामर्शदाताओं और कारोबारी सलाहकारों पर खर्च के एक उपयुक्त भाग का वित्तपोषण करने के लिए उपलब्ध होगी जहां ऐसे परामर्शदाताओं और कारोबारी सलाहकारों की नियुक्ति प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा या तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा बनाए गए कारोबारी सलाहकारों के पैनल में से अथवा सेवाओं के लिए संविदा के अन्तर्गत अधिप्राप्ति की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

सरकारी सहायता

- ★ आईआईपीडीएफ ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रायोजक प्राधिकरण के परियोजना विकास खर्चों के 75 प्रतिशत तक का वित्तपोषण करेगी। शेष 25 प्रतिशत का सह वित्तपोषण प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- ★ बोली की प्रक्रिया के सफलता से पूरा होने पर परियोजना विकास व्यय की वसूली सफल बोलीदाता से की जाएगी। तथापि, बोली के नाकामयाब होने की स्थिति में ऋण को अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि किसी कारणवश प्रायोजक प्राधिकरण बोली की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता है तो अंशदान की गयी समस्त राशि आईआईपीडीएफ को लौटा दी जाएगी।

अनुमोदन प्रक्रिया

- ★ आईआईपीडीएफ एक ऐसी अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा प्रशासित होगी जो अपर सचिव (आर्थिक कार्य), अपर सचिव (व्यय), योजना आयोग के प्रतिनिधि जो कि संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे के नहीं होंगे तथा संबंधित मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) के संयोजन से गठित होगी।
- ★ आईआईपीडीएफ से परियोजना विकास का निधिकरण प्राप्त करने के लिए प्रायोजक प्राधिकरण विचार हेतु ज्ञापन जिसके साथ परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट (छः प्रतियों में) भी संलग्न होगी, के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग में पीपीपी प्रकोष्ठ को आवेदन करेगा। विचारार्थ ज्ञापन निर्धारित प्रोफार्मा में, मूल निधि में से वित्तपोषण करने के लिए विस्तार से किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के लिए औचित्य को सिद्ध करेगा।
- ★ जिन प्रस्तावों में अर्थक्षमता अन्तर के निधिकरण पर विचार नहीं किया गया है उन्हें भी निधिकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निधिकरण हेतु प्रस्तावों में पीपीपी परियोजनाओं के समस्त पक्षों को शामिल किया जाएगा जैसे कि बनाओ-चलाओ और हस्तांतरित करो (टोल); बनाओ-चलाओ और हस्तांतरित करो (वार्षिकी); दीर्घावधिक प्रबंधन संविदाएं आदि। परियोजना की पात्रता के बारे में अधिकार प्राप्त संस्था के निर्णय अंतिम होंगे।
- ★ महीने के दसवें दिन तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा और आगामी महीने के प्रथम सप्ताह में अधिकार प्राप्त संस्था की बैठक में उन पर निर्णय होगा। संभव निर्णय इस प्रकार होंगेः बिना शर्त निधिकरण अनुमोदन, कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन अथवा कोई निधिकरण नहीं।
- ★ निधिकरण का उपयोग उस एक ही परियोजना पर किया जाएगा जिसका अनुमोदन अधिकार प्राप्त संस्था ने किया है।
- ★ निधियों का संवितरण अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदित निर्देशनों के अनुसार किया जाएगा।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि के लिए दिशानिर्देश और योजना वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के का0ज्ञा0सं0 7/2/2007-पीपीपी, दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं

ब्यौरों के लिए कृपया **www.pppinindia.com** *को देखें।*

पीपीपी परियोजनाओं के लिए कारोबारी सलाहकार

पीपीपी कारोबारों के समर्थन में वाणिज्यिक/वित्तीय और कानूनी दोनों सेवाएं प्रदान करने के लिए कौशल और अनुभव युक्त अर्हता प्राप्त फर्मों से उच्च कोटि की कारोबार प्रबंधन सेवाएं प्रायोजक प्राधिकरणों को पीपीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक निर्बाध एवं कारगर सहायता प्रदान कर सकती हैं।

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व-अर्हक फर्मों का एक पैनल तैयार किया है। पूर्व-अर्हक कारोबारी सलाहकारों का पैनल परियोजनाओं के शेल्फ के सृजन में विलम्ब को दूर करने और कारोबारी सलाहकारों/परामर्शदाताओं को भाड़े पर लेने से रोकने के लिए कारोबारी सलाहकारों/परामर्शदाताओं के चयन में विभिन्न प्रकार से सहायता देने के लिए कुछ राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों से प्राप्त मांग को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। पैनल निम्नलिखित आशय से तैयार किया गया है:

- ★ पीपीपी के लिए कारोबारी सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए निविदात्मक प्रक्रिया को सरल बनाना।
- ★ ऐसी फर्मों जिनके पास सुसंगत मानदंडों पर पूर्व-अर्हता प्राप्त हैं, तीव्र पहुंच सुनिश्चित करना।
- ★ एजेंसियों और निजी क्षेत्र की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों एवं प्रक्रियाओं की स्पष्ट परिभाषा के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

चुनिंदा फर्मों को पीपीपी कारोबारों में उनकी क्षमता और अग्रणी भूमिका निभाने में उनके अनुभव के आधार पर आंका गया है। न्यूनतम विहित पूर्व-अर्हता के मानदंड को पूरा करने वाली सभी फर्मों का चयन करने की बजाए केवल उन्हीं फर्मों का चयन किया गया जिन्हें सलाह प्रदान करने में अत्यंत योग्य माना गया है। पैनल के सदस्यों के पास पीपीपी कारोबारों में मदद देने के लिए वाणिज्यिक/वित्तीय तथा विधिक दोनों प्रकार की सेवा मुहैया कराने की कुशलता और अनुभव है। जहां संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष तकनीकी सलाह जरूरी हो, इसकी व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए।

यह पैनल उन सभी केन्द्रीय, राज्य और नगरपालिका सरकारों के लिए उपलब्ध है जो पीपीपी कारोबार कर रही हैं। निर्धारित कार्य के लिए वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर से इस पैनल में से किसी भी सलाहकार को चुन सकेंगी। पैनल का सदस्य इस बात की पुष्टि करेगा कि कारोबारी सलाह का कार्य संभालने में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। प्रयोजक प्राधिकरण पैनल के सदस्य अथवा संकाय

परामर्शदाताओं के पैनल का उपयोग करने के लिए सोपान
सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित परियोजना पात्र है
नियुक्ति के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित करें
निर्धारित करें कि पैनल के किस सदस्य से मिला जाए
पैनल के सदस्यों से वित्तीय बोली प्राप्त करें
पैनल के सदस्यों से प्रस्तावों का मूल्यांकन करवाएं
कारोबारी सेवाओं के प्रावधानों के लिए पैनल के चुनिंदा सदस्यों के साथ करार हस्ताक्षरित करें
सेवाएं देना आरम्भ करें
पैनल के चयनित सदस्य के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करें एवं आर्थिक कार्य विभाग को उसकी रिपोर्ट दें

पैनल का सदस्य इस बात की पुष्टि करेगा कि कारोबारी सलाह का कार्य संभालने में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है।

से यह वचन लेगा कि वे अथवा उनके संबंधित उन्हीं परियोजनाओं के लिए बोली/कीमत नहीं लगाएंगे।

पैनल में शामिल फर्में सीधे ही संबंधित एजेंसियों से कारोबार प्रबंधन सेवाओं की व्यवस्था के लिए सम्पर्क स्थापित करेंगी। तथापि, आर्थिक कार्य विभाग को पैनल का उपयोग किए जाने और पैनल के सदस्यों के कार्यनिष्पादन के बारे में सूचित करते रहना होगा।

'पैनल के उपयोग के लिए एक दिशा-निर्देश' बना कर उसे अधिसूचित किया गया है जिसमें कारोबार सलाहकारी सेवा के लिए संभावित क्षेत्र का सुझाव दिया गया है और पीपीपी कारोबार के लिए एक कारोबारी सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया और कार्यों का विवरण दिया गया है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नामांकन के आधार पर राज्य स्तर के संगठन की सेवाओं का उपयोग करते हुए कारोबारी सेवाओं की अधिप्राप्ति करने के बजाए सरकारी आदेश के जरिए सही प्रत्यय पत्र वाली फर्म को पैनल में शामिल करें और विस्तारित पैनल से वित्तीय बोलियों की मांग करें।

यह पैनल दो वर्ष की अवधि के लिए वैध है। इस अवधि के दौरान आर्थिक कार्य विभाग उन फर्मों को पैनल से हटा सकता है जिन्हें वह इस योग्य नहीं मानता कि वे व्यावसायिक तरीके से अपेक्षित सेवाएं मुहैया करा सकती हैं अथवा भलीभांति सोच समझ कर इसमें अथवा नई फर्मों को शामिल कर सकता है। पैनल की सदस्यता में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचना ***www.pppinindia.com*** *के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।*

परियोजनाओं की बोली से पूर्व ग्रेड निर्धारण

जोखिम में एक लागत निहित होती है। जितनी अधिक जोखिम की अवधारणा होगी उतनी ही अधिकतम मूल्यांकन के माध्यम से जोखिम के प्रति स्वयं की क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक कार्य विभाग ने बोली पूर्व अवस्था में अर्थात परियोजना विकासकर्ता की पहचान से पूर्व रेटिंग एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं की ग्रेडिंग का विचार प्रवर्तित किया है। 'परियोजना ग्रेडिंग' एक नई प्रक्रिया है जिसे आर्थिक कार्य विभाग के साथ परामर्श करके चार अग्रणी रेटिंग एजेंसियों केयर, क्रिसिल, फिच रेटिंग्स और आईसीआरए द्वारा विकसित किया गया है। बोली से पूर्व रेटिंग के लिए एक सामान्य ढांचा तैयार किया गया है। रेटिंग एजेंसियों के पास परियोजना से संबंधित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए अपनी स्वतंत्र पद्धतियां और मानदंड हैं। जबकि ये एजेंसियां मूल्यांकन के लिए अपनी निजी कार्य पद्धतियों को अपनाएंगी फिर भी सभी रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाया जाने वाला प्रस्तावित व्यापक विश्लेषणात्मक ढांचा एक ही होगा।

परियोजनाओं के बोली-पूर्व ग्रेडिंग के लिए प्रत्याशित ग्राहक

परियोजना के प्रायोजक प्राधिकरण, जैसे कि केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एवं सांविधिक निकाय। यदि प्रायोजक एजेंसी निर्णय लेती है कि रेंटिंग एजेंसी से ग्रेडिंग न करवायी जाए तो प्रत्याशित बोलीदाता चाहे तो परियोजना का स्वतंत्र मूल्यांकन करवा सकता है।

कार्य पद्धति

ग्रेडिंग की पद्धति में निम्नानुसार विभिन्न प्रकार के जोखिम संबंधी विस्तृत विश्लेषण शामिल होते हैं:

★ **परियोजना से संबंधित कारक**

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर तैयारी के स्तर का मूल्यांकन।

प्रमुख कारक:

- पहचान, भूमि की उपलब्धता और परियोजना से संबंधित अवसरंचना
- सांविधिक स्वीकृतियों की स्थिति
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन आवश्यकताएं या स्थितियां

बोली-पूर्व ग्रेडिंग

बोली से पहले की अवस्था में परियोजना की ग्रेडिंग उस परियोजना को कार्यान्वित करने में समाहित जोखिमों पर अनिवार्यतः एक अभ्युक्ति होगी। सामान्य साख दर निर्धारण के विपरीत इस ग्रेडिंग की प्रक्रिया में रेटिंग किए गए साधनों/निर्गमकों के साथ सम्बद्ध ऋण जोखिम पर राय शामिल नहीं होती। ग्रेडिंग पांच बिन्दु के पैमाने पर होगी जिसमें ग्रेड-I में न्यूनतम परियोजना जोखिम निर्दिष्ट होगा और ग्रेड 5 में बोली पूर्व अवस्था में अन्य अवसंरचना परियोजनाओं की तुलना में बहुत ही अधिक परियोजना जोखिम निर्दिष्ट होंगे। बोली पूर्व ग्रेडिंग की अवस्था में किसी भी प्रकार से परियोजना की साख दर निर्धारण या वित्तीय/वाणिज्यिक क्षमता का पता नहीं चलता।

- स्थल और उक्त स्थल से संबंधित अवसरंचना के लिए पहुंच की लागत
- उपलब्धता और निवेश
- प्रौद्योगिकी जोखिम
- आफ टेक के प्रबंध और बाजार जोखिम
- आफ टेक वाले का क्रेडिट जोखिम और भुगतान सुरक्षा तंत्र की परिकल्पना

★ **संविदात्मक जोखिम मूल्यांकन**

विभिन्न संविदात्मक प्रबंधों के माध्यम से परियोजना निर्माण अवधि और न्यूनीकरण सहित परियोजना के जीवन काल में शामिल जोखिमों की पहचान करना प्रमुख मानदण्ड होगा। जोखिम आबंटन ढांचा, क्या उसे भलीभांति परिभाषित किया गया और दस्तावेज की शर्तें सुस्पष्ट है, यह भी जांच की जाएगी।

प्रमुख कारक:

- विभिन्न परियोजना पार्टियों, सरकार और विनियामक की भूमिका और उत्तरदायित्व
- राजनीतिक, विनियामक और विधिक वातावरण
- संविदाओं के प्रबंधन में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न निकायों का ट्रैक रिकार्ड
- संविदाओं की स्पष्टता, व्यापकता और लागू किया जाना
- कार्यबल के संबंध में प्रावधान
- निर्णीत हरजाने के वित्तीय प्रभावों के संबंध में प्रावधान
- प्रमुख दस्तावेजों अर्थात सीए आदि की जांच

★ **बोली प्रक्रिया/चयन प्रक्रिया का मूल्यांकन**

प्रमुख कारक:

- बोली प्रक्रिया का नमूना
- अर्हता मापदण्ड
- बोली प्रक्रिया के मापदण्ड
- चयन प्रक्रिया की सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के साथ तुलना

★ **बोर्ड के वित्तीय मापदण्ड**

कुछ अनुमानों पर आधारित प्रमुख वित्तीय संकेतकों का मूल्यांकन। ऐसे ही क्षेत्र में अन्य अवसंरचना परियोजनाओं की भी तुलना की जाएगी।

प्रमुख कारक:

- मूल मामले पर अर्थक्षमता आधारित मूल्यांकन जैसे परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया गया है
- मुख्य वित्तीय संकेतकों का मूल्यांकन
- सम्भावित मिश्रित निधियन

किसी परियोजना के ग्रेडिंग करवाने का विकल्प प्रायोजक अधिकारी के पास होगा।

परिणाम
स्वतंत्र मूल्यांकन से बेहतर निवेशक मिल सकेंगे
सरकार को रूपए-पैसे का बेहतर मूल्य मिल सकेगा
बोली प्रक्रिया से पहले साख निर्धारण एजेंसियों द्वारा पता लगाए गए जोखिमों से प्रयोजक प्राधिकरण प्रयत्न करके जोखिमों को कम कर सकता है।

www.pppinindia.com

सूचना का प्रचार-प्रसार सरकारी निजी भागीदारी के लिए सफलता की कुंजी है चाहे इससे प्रायोजक संस्था की निष्पादन स्पष्टता में वृद्धि हो अथवा पीपीपी योजनाओं और प्रोत्साहनों के संबंध में निवेशकों को सूचना मिलती हो। यह विद्यमान पीपीपी जीवनचक्र के आंकड़े भी उपलब्ध कराता है। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया ***www.pppinindia.com*** *नीति-निर्देशों सहित भारत में पीपीपी की समग्र सूचना उपलब्ध कराता है। यह साईट भारत में पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में डाटाबेस से जोड़ती है। यह वेबसाईट पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों को शामिल करती है। यह वीजीएफ योजना और पीपीपी मूल्यांकन समिति के अंतर्गत पीपीपी प्रकोष्ठों द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों की स्थिति दर्शाता है। यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए विज्ञापन द्वारा अथवा वेबसाईट में सूचीबद्ध होकर पीपीपी योजनाओं के विपणन टूल के रूप में कार्य करती है।*

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया गया ***www.pppinindia.com*** *नीति-निर्देशों सहित भारत में पीपीपी की समग्र सूचना उपलब्ध कराती है। यह साईट भारत में पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में डाटाबेस से जोड़ती है*

मुख्य विशेषताएं

★ भारत में सरकारी निजी भागीदारी पहलों से संबंधित सभी प्रकार की सूचना के लिए एक वन स्टाप साईट है। यह साईट भारत में पीपीपी परियोजनाओं के लिए आंकड़ा आधार से जोड़ती है। यह पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के साथ-साथ वीजीएफ योजना और पीपीपी मूल्यांकन समिति के अंतर्गत पीपीपी प्रकोष्ठों द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों की स्थिति दर्शाती है।

★ यह वेबसाइट पर सम्भाव्य विक्रेताओं और वित्तीय संस्थाओं के बारे में सूचना मुहैया कराती है। विभिन्न निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं ने साईट पर पहले ही विज्ञापन दे दिया है।

★ विश्व भर में पीपीपी के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित अद्यतन दिशानिर्देशों, केन्द्र और राज्य सरकारों की नीतियों, तथा मुख्य पीपीपी परियोजनाओं के केस अध्ययनों की सूचना का प्रचार-प्रसार करती है।

★ सूचना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ क्षेत्र में निवेश के अवसरों को उजागर करके देशी और विदेशी दोनों पार्टियों द्वारा पीपीपी में निवेश का संवर्धन करके गुणवत्तापरक प्रस्ताव तैयार करती है।

★ यह भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं, निवेशकों और पणधारियों को विभिन्न पीपीपी विनियोजनों का ब्यौरा देने के लिए फ्लैटफार्म मुहैया कराती है।

यह वेबसाइट पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित सभी नीतिगत मामलों के साथ-साथ वीजीएफ योजना और पीपीपी मूल्यांकन समिति के अंतर्गत पीपीपी प्रकोष्ठों द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों की स्थिति दर्शाती है

- ★ यह सरकारी एजेंसियों में संपर्क बिन्दु और संदर्भ मुहैया कराती है। यह बेवसाइट, नियमित रूप से पीपीपी से संबंधित सभी मामलों को अद्यतन करके उपलब्ध कराती है। भारत में भारत/अवसंरचना क्षेत्रों के संबंध में आंकड़ों को समेकित किया जाता है/उपलब्ध कराया जाता है।
- ★ निजी क्षेत्र के व्यवसायी बेवसाइट में विज्ञापन देकर अथवा सूचियन के माध्यम से अपनी कंपनी का विपणन कर सकते हैं। यह साइट संगत और अद्यतन सूचना से लोकप्रिय बनायी गयी है।

www.pppindiadatabase.com

इस डाटाबेस का उद्देश्य केन्द्र, राज्य और क्षेत्रक स्तरों पर भारत में पीपीपी पहलों की स्थिति और विस्तार पर व्यापक और नई सूचनाएं उपलब्ध कराना है। यह डाटाबेस www.pppinindia.com के माध्यम से उपलब्ध होगा।

यह डाटाबेस आर्थिक क्षेत्र, मेजबान राज्य, सहयोगी सरकारी विभागों, निजी निवेशकों, पूंजी वचनबद्धताओं और कुल सरकारी निजी भागीदारी संसाधन बचनबद्धताओं के संबंध में अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराता है।

पणधारी के लिए विशिष्ट लाभ

- **आर्थिक कार्य विभाग:** पीपीपी की वर्तमान और ऐतिहासिक प्रवृतियों का अध्ययन करना; निवेशकों के लिए निवेश संवर्धन पैकेज विकसित करना; और क्षेत्राधिकारगत और क्षेत्रगत दोनों आधार पर पूरे भारत में पीपीपी पहलों के विस्तार का मूल्यांकन करना।
- **भारत सरकार नोडल मंत्रालय (अर्थात् सड़क मंत्रालय, पत्तन प्राधिकरण आदि):** उनके क्षेत्र के आकर्षणों के बारे में निजी निवेशकों को जानकारी देना।
- **राज्य सरकारें:** अन्य राज्यों और केन्द्रीय सरकार के संबंध में निजी क्षेत्र की धन-राशि आकर्षित करने में उनके निष्पादन के मूल्यांकन करने के आधार के रूप में।
- **निजी निवेशक:** यह निर्धारित करना कि कौन से क्षेत्र, और राज्य, सरकारी निजी भागीदारी पहलों को हाथ में लेने के लिए सबसे आगे हैं। इसके अतिरिक्त, निवेशक यह निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है।
- **अकादमी सदस्य और अनुसंधानकर्ता:** पीपीपी विकास मॉडलों के क्षेत्र में उनके अनुसंधान प्रयासों में सहायता करना।
- **मीडिया:** भारत में पीपीपी पहलों की भूमिका उनके परिणामों और प्रभावों के संबंध में सूचना देना।
- **नागरिक:** भारत के विकास के प्रयासों में सरकारी और निजी भागीदारी की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

यह डाटाबेस आर्थिक क्षेत्र, मेजबान राज्य, सहयोगी सरकारी विभागों, निजी निवेशकों, पूंजी वचनबद्धताओं और कुल सरकारी निजी भागीदारी संसाधन बचनबद्धताओं के संबंध में अनिवार्य सूचना उपलब्ध कराता है

यह डाटाबेस भारत में सभी पीपीपी परियोजनाओं संबंधी सूचना को सूचीबद्ध करेगा

★ यह डाटाबेस भारत में सभी पीपीपी परियोजनाओं संबंधी सूचना को सूचीबद्ध करेगा। यह डाटाबेस पीपीपी की विशेष परियोजनाओं पर अनिवार्य रूप से निम्नलिखित पर डाटा आधार उपलब्ध कराएगा।

i. परियोजना सूचना

ii. बोली प्रक्रिया की सूचना

iii. परियोजना लाभ और लागत

iv. विधिक उपकरण और

v. वित्तीय सूचना

सीखना और ज्ञान का आदान-प्रदान

अब तक क्या किया गया है

★ विश्व बैंक के सहयोग से एक अध्ययन किया गया है ताकि यह जांच की जा सके कि पीपीपी की संकल्पना तैयार करने, उसकी संरचना और प्रबंधन के लिए क्षमताओं को भारत में कैसे विकसित किया जा सकता है।

★ भारत में त्वरित अवसंरचना विकास के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को मुख्य धारा में लाने के प्रयास के भाग के रूप में, आर्थिक कार्य विभाग और एशियाई विकास बैंक ने पीपीपी के संबंध में मुख्य सचिवों की चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये कार्यशालाएं बंगलौर, दिल्ली, कोलकाता और गोवा में 12 जून और 2 सितंबर, 2006 के बीच आयोजित की गई।

★ विश्व बैंक की सहायता से फरवरी 2007 को 'मिटिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स विद् पीपीपी' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

★ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भी इंडियन इंस्टींट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद में 29 जनवरी से 3 फरवरी, 2007 को 'विकास के लिए सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम' आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीपीपी की पहलों पर और वर्तमान समय के तथा विश्वभर के केस अध्ययनों पर व्यापक मुद्दे छाए रहे। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से 70 नीति निर्माताओं ने भाग लिया।

★ केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पीपीपी नोडल अधिकारियों के बीच विचारों का अदान-प्रदान करने तथा परस्पर बातचीत के लिए 22 से 23 सितम्बर, 2007 को प्रथम 'पीपीपी नोडल अधिकारी गोलमेज बैठक' का आयोजन किया गया।

★ शहरी क्षेत्र में पीपीपी को मुख्य धारा में लाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक और राष्ट्रमंडल सचिवालय, यूके के सहयोग से आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दो क्षेत्रीय नीतिगत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कार्यशालाएं जयपुर (15-16 अक्तूबर, 2007) और हैदराबाद में (18-19 अक्तूबर, 2007) आयोजित की गईं जिसमें भारत सरकार और 18 राज्यों तथा नगरपालिकाओं के 150 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के द्वारा पर्याप्त संभाव्यता और पीपीपी की उन प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू करने की क्षमता वाले शहरों का पता लगाया गया, जो आगे और परियोजनाओं को विकसित करने अथवा मौजूदा परियोजनाओं में वृद्धि करने के लिए मानक बनेंगी।

सहभागी फीडबैक

'केस प्रणाली की वजह से सक्रिय रूप से उत्कृष्ट चर्चा का मार्ग बना। नीति अवरोधों पर उत्कृष्ट वार्तालाप हुआ जिससे विकास हो सका है'।

'पीपीपी और वित्तीय परिप्रेक्ष्य में अंतर्दृष्टि। ऐसा क्षेत्र जहां पर अधिक सतर्कता की जरूरत को स्वीकारा गया है।

पीपीपी परियोजनाओं में कारगर ढंग से कार्य करने, इस विषय में अपने आप को प्रबुद्ध बनाने, परिस्थितियों से निपटने और अभी तक अपनाए गए पारम्परिक तरीकों से सोचने में मेरी मदद करें।

-विकास के लिए पीपीपी संबंधी कार्यक्रम

भारत में त्वरित अवसंरचना का विकास करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी को मुख्य धारा में लाने के इसके प्रयासों के एक भाग के रूप में आर्थिक कार्य विभाग और एशियाई विकास बैंक ने पीपीपी संबंधी मुख्य सचिवों की चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

- ★ परियोजनाओं की पूर्व-बोली ग्रेडिंग के जोखिम पर सीआईआई के साथ संयुक्त रूप से छः क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं थी। ये कार्यशालाएं जिनमें 500 से भी अधिक अधिकारियों ने भाग लिया था, मुम्बई, गोवा, कोच्चि, भुवनेश्वर, शिलांग और जयपुर में आयोजित की गई थी। इसमें राज्य स्तर पर उद्योग और सरकार के प्रमुख स्टेकहोल्डर एक साथ मंच पर आए।
- ★ 'जोखिम निर्धारण और उपशमन' पर पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के 98 अधिकारियों ने भाग लिया। आर्थिक कार्य विभाग की ओर से क्रिसिल लि0 ने असली जिन्दगी के उदाहरणों और केस अध्ययनों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए प्रशिक्षणों का आयोजन किया ताकि इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति अपने अनुभव किए गए असली मुद्दों के मामले में चर्चा किए गए सैद्धांतिक पहलुओं को प्रयोग में ला सकें।
- ★ पीपीपी का पर्याप्त अनुभव रखने वाले देशों की सर्वोत्तम प्रणालियों का प्रदर्शन, अप्रैल, 2008 के दौरान राज्य/केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारियों के लिए किया गया।
- ★ आर्थिक कार्य विभाग ने एशियाई विकास के सहयोग से भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में पीपीपी अवसरों का विश्लेषण करने का कार्य जनवरी, 2008 में केपीएमजी, यूके को सौंपा है। अहमदाबाद (23 फरवरी, 2008) और गोवा (25 अप्रैल, 2008) में स्टेकहोल्डरों के परामर्श और कार्यशालाओं के माध्यम से छह पीपीपी 'माडल' संरचनाएं विकसित की गईं। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के सुझाव पर 10 परियोजनाओं को संभावित प्रायोगिक परियोजनाएं के तौर पर लिया गया है जिनकी आर्थिक कार्य विभाग और एशियाई विकास बैंक की सहायता से पुनः संरचना की जाएगी। इस कवायद का उद्देश्य सम्पोषक प्रदर्शन परियोजनाओं को विकसित करना है जो इन क्षेत्रों में पीपीपी पर वास्तव में उत्प्रेरक प्रभाव डाल सकें।

क्षमता निर्माण के लिए व्यापक ढांचा

सरकारी प्रशासनिक तंत्र के क्षमता निर्माण में तेजी लाने और उसे गहन बनाने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग विश्व बैंक और अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों के सहयोग से एक व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित कर रहा है जिसकी जानकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाओं और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाएगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन कार्य क्षेत्रों से संबंधित केन्द्र और राज्य सरकारों, पैरा-स्टेटल तथा स्थानीय सरकारी निकायों के अधिकारी होंगे। इसमें प्रशिक्षण की जरूरतों के मूल्यांकन का आयोजन करना, पाठ्यक्रम के विषय विकसित करना, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, और प्रशिक्षकों की प्रारंभिक जानकारी के लिए कुछ प्रदर्शन मापदंडों के माध्यम से इस कार्यक्रम का पूरा परिचय देना शामिल है। आशा की जाती है कि इससे प्रशिक्षण संस्थाओं को बहु-स्तरीय और अन्तःक्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रबंधन/संचालन के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

शब्दावली

एडीबी

एशियाई विकास बैंक

सीआईआई

भारतीय उद्योग परिसंघ

डीईए (आ0का0वि0)

आर्थिक कार्य विभाग

इलिजिबल सेक्टर (पात्र क्षेत्र)

वे क्षेत्र जो अवसंरचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार की योजना के अंतर्गत अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए पात्र हैं।

इम्पावरड कमेटी (अधिकार प्राप्त समिति)

सचिव योजना आयोग, सचिव (व्यय) तथा इस विषय से संबंधित मंत्रालयों के सचिव सहित सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में एक समिति।

इम्पावरड इंस्टीट्यूशन (अधिकार प्राप्त संस्था)

अधिकार प्राप्त संस्था आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 18 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं0 2/10/2004-आईएनएफ के तहत यथा अधिसूचित अधिकार प्राप्त संस्था (ईआई)।

आईआईएफसीएल

भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि0 (कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की जाने वाली एक कंपनी)

आईआईपीडीएफ

भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष

लीड बैंक

ऐसी वित्तीय संस्था (एफआई) जो ऋण उपलब्ध करा कर परियोजना अवसंरचना का वित्तपोषण करती है और यह ऋण कुल परियोजना ऋण के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा और अंतर-

संस्थागत समूह अथवा वित्तीय संस्थाओं के संगठनों (कन्सोंटियम) द्वारा, जैसे भी स्थिति है, पद नामित किए गए हों।

लीड फाईनेन्शियल इंस्टीट्यूशन

ऐसी वित्तीय संस्था जो पीपीपी परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है और वित्तीय संस्थाओं के संगठन के मामले में, वित्तीय संस्था के संगठन द्वारा जैसी भी स्थिति हो, नामित की गई हो।

दीर्घावधि ऋण

परियोजना कंपनी को आईआईएफसीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया ऋण, जिसमें ऋण वापसी के लिए औसत परिपक्वता अवधि 10 वर्षों से अधिक होगी।

मेमोरेंडम फोर कन्सीडरेशन (एमएफसी) (विचारार्थ ज्ञापन)

इस प्रारूप में आईआईपीडीएफ अनुदान के लिए आवेदन करते समय प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

परियोजना विकास व्यय

अधिकार प्राप्त संस्था द्वारा अनुमोदित किए गए बजट के अनुसार प्रत्येक परियोजना के विकास के लिए प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा किया गया खर्च (परामर्शदाता शुल्क आदि के रूप में) जिसमें सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय संरचना, विधिक समीक्षाएं (पर्यावरण अध्ययन सहित) और परियोजना प्रलेखीकरण, रियायत करार सहित, वाणिज्यिक निर्धारण अध्ययन (ट्रैफिक अध्ययन, मांग मूल्यांकन, मूल्यांकन भुगतान क्षमता सहित) आदि जिसमें व्यक्तिगत अथवा टर्नकी आधार पर ऐसी परियोजनाओं का तकनीकी दृष्टि से समापन अपेक्षित है, परंतु इनके अपने कर्मचारियों आदि पर प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा किया गया खर्च इसमें शामिल नहीं होगा।

निजी क्षेत्र की कंपनी

ऐसी कंपनी जिसमें 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अभिदत्त और चुकता पूंजी का स्वामित्व रखा जाता है और जो निजी कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाती है।

परियोजना कंपनी

ऐसी कंपनी जो परियोजना संरचना का कार्यान्वयन कर रही है और जिसके लिए आईआईएफसीएल द्वारा सहायता दी जाती है।

परियोजना अवधि

पीपीपी परियोजनाओं के लिए ठेका अथवा रियायत करार की अवधि

परियोजना

इस योजना के प्रयोजन के लिए ईआई द्वारा अभिज्ञात किसी भी अवसंरचना क्षेत्र में से एक परियोजना।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)

वाणिज्यिक शर्तों पर विशिष्ट एक विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए (रियायत अवधि) सरकारी प्रयोजन के लिए अवसरंचना का सृजन और/अथवा प्रबंधन करने के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनी (प्रायोजक प्राधिकरण) और निजी क्षेत्र की कंपनी (एक विधिक कंपनी जिसमें 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक इक्विटी निजी भागीदार के पास हो) के मध्य भागीदारी और जिसमें पारदर्शी एवं खुली अधिप्राप्ति प्रणाली के माध्यम से निजी भागीदारी प्राप्त की गई हो।

सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना

प्रयोक्ता प्रभारों के भुगतान पर अवसंरचना सेवा करने के लिए सरकार अथवा एक ओर सांविधिक कंपनी और दूसरी ओर एक निजी क्षेत्र की कंपनी के मध्य एक संविदा अथवा रियायत करार पर आधारित एक परियोजना।

सरकारी क्षेत्र की कंपनी

ऐसी कंपनी जिसमें 51 प्रतिशत या उससे अधिक अभिदत्त और प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का स्वामित्व अकेले या संयुक्त रूप से केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो इसमें ऐसे उपक्रम भी शामिल होते हैं जिन्हें सरकारी उद्यम विभाग द्वारा नामजद किया गया हो और ऐसी कंपनियां भी जिनमें वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इंक्विटी पूंजी का मुख्य भाग धारित हो।

प्रायोजक प्राधिकरण

केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें, नगर पालिका या स्थानीय निकाय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकरण (जैसे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण)।

तकनीकी समापन

बोली की प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र के विकासकर्ता के चयन के पश्चात निजी क्षेत्र के विकासकर्ता और प्रायोजक प्राधिकरण अथवा इसकी एजेंसियों के बीच रियायती करार के निष्पादन की अवस्था।

कुल परियोजना लागत

पीपीपी परियोजना की कुल पूंजी लागत का वह निचला स्तर जो (क) उस सरकार/सांविधिक निकाय द्वारा अनुमानित हो जिसके स्वामित्वाधीन वह परियोजना है, (ख) अग्रणी वित्तीय संस्था द्वारा यथा स्वीकृत, और (ग) जो वास्तव में खर्च किया गया हो लेकिन उसमें किसी भी अवस्था में सरकार/सांविधिक निकाय द्वारा वहन किए गए भूमि संबंधी खर्चे शामिल नहीं होंगे।

व्यावसायिक सलाहकार

प्रायोजक प्राधिकरणों को परियोजना का डिजाइन तैयार करने और/या उन्हें परियोजना का डिजाइन तैयार करने में तकनीकी, वित्तीय और कानूनी सलाह प्रदान करने और पीपीपी परियोजना के लिए निजी क्षेत्र के भागीदार की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए सलाह प्रदान करने हेतु प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से किराए पर लिए गए सलाहकार।

वीजीएफ

अर्थक्षमता अन्तर निधीयन से तात्पर्य किसी परियोजना को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से अवसरंचना में पीपीपी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत एक-कालिक या आस्थगित अनुदान से है।

www.pppinindia.com